न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर
नाम पीठासीन अधिकारी – श्री मांगीलाल रेगर , आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या – 113/13(राजस्व वाद) दायर दिनांक – 9.5.2013
निर्णय दिनांक– 22.7.19

अनवान

1–श्रीमती तारा बेवा रामलाल डामोर भील
2– सूश्री लक्ष्मी पुत्री रामलाल डामोर भील
3– सूश्री अंजली पुत्री रामलाल डामोर भील
4– कैलाश पुत्री रामलाल डामेार भील
5– वन्दना पुत्री रामलाल डामेार भील निवासीयान वणोरी तहसील सागवाडा
(वादीगण)

बनाम

1– श्री वजा उर्फ विजेयचन्द पिता मोगा उर्फ मोगजी डामोर भील
2– श्री भंवर पिता वजा उर्फ विजेयचन्द्र डामोर
3– श्रीलालशंकर पिता वजा उर्फ विजेयचन्द्र डामोर
4–श्रीमती रमीला पति भंवर डामोर
5– श्रीमती मंजूला पति लालशंकर डामोर निवासीयान वणोरी तहसील सागवाडा
6– भूमिधारी तहसीलदार सागवाडा
7– श्रीमती मीरं पिता मोगा उर्फ मोगजी डामोर
8– श्रीमती भीखं पिता मोगा उर्फ मोगजी डामोर
9– श्रीमती राधा पिता मोगा उर्फ मोगजी निवासी हाल मुकाम वणोरी
(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण–श्री निखिल सोमपुरा
वकील प्रतिवादीगण – श्री सी0एस0 शुक्ला

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 53 एंव 88

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की खाते हिस्से की भूमि खाता संख्या 1102 नया तथा पुराना खाता संख्या 1058 जमाबन्दी संवत 2066–69 खसरा संख्या 7873,7899,7900,7920,8072,8159,8162,8203,कुल आराजीयात आठ कुल रकबा आठ बिघा आठ बिस्वा एवं खाता संख्या 118 जमाबन्दी संवत .. खसरा नम्बर 877,947,1332/1002 कुल आराजीयात 3 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा मौजा वणोरी पटवार हल्का हडमाला तहसील सागवाडा में स्थित

22.7.19

Scanned by CamScanner

होकर वादीगण के खाते हिस्से की होकर कब्जे काश्त की है । यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है तथा वादीया नम्बर एक विधवा है तथा वादी नम्बर 2 से 5 वादीया नम्बर एक की पुत्रियां है । प्रतिवादी वजा वादीया का जेठ है तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 भतिजे एंव भतीजा बहु लगते हैं।

यह कि प्रतिवादीगण वादिया के हिस्से की भूमि जबरान छिन लेना चाहते हैं तथा वादीया के मकान पर भी जबरन कब्जा करने की नियत से आये दिन झगडा करते है इस वजह से वादिया पिछले दो माह से प्रार्थिया मय बच्चों के पियर रहते हुए अपने खेतों में खेती करती है परन्तु प्रतिवादीगण खेतों में लगाई फसल को भी चरा देते हैं । वादिया परेशान हो गई है ।अभी गेहूँ की फसल काटने गई तो फसल नहीं काटने दी एंव प्रतिवादीगण जबरन फसलकाटकर ले गये तथा कहते हैं कि कोई जमीन नहीं देगे तेरे जहां जाना हो चली जा । इसलिए भूमि का बंटवारा करा कर अलग खाते दर्ज कियाक जाना आवश्यक है ।

यह कि वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर भूमि विकास का कार्य कराने ,बैंक से लोन लेना चाहते हैं परन्तु प्रतिवादीगण सहमती नहीं देते हैं इसलिए लोन लेने में भारी परेशानी हो रही है । यह कि वादीगण के खाते हिस्से की भूमि खाता संख्या 1102/1058 नया तथा पुराना जमाबन्दी 2066–69 तक मोजा सागवाडा पटवार हल्का सागवाडा की आराजी नम्बर 7873,7899,7900,7920,8072,8159,8162,8203,कुल आराजीयात आठ कुल रकबा आठ बिघा आठ बिस्वा का बंटवारा कर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज कर अलग खाते दर्ज किया जाकर अलग पट्टा जारी किया जाना आवश्यक है ।

यह कि वादीगण के खाते हिस्से की भूमि खाता संख्या 135/118 नया व पुराना जमाबन्दी संवत 2066–69 तक खसरा नम्बर 877,947,1332/1002 कुल आराजीयात 3 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा मौजा वणोरी पटवार हल्का हडमाला में स्थित होकर वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है का बंटवारा किया जाकर 1/2 हिस्सा अलग से वादीगण के खाते दर्ज कर वादीगण को अलग से पट्टा जारी किया जाना आवश्यक है ।

यह कि बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से आये खेतों में प्रतिवादीगण जबरन प्रवेश नहीह करें ,कोई फसल को नहीं काटे ,कुए से सिंचाई हेतु पानी लेने से इन्कार नही करें ,घर पर बार बार हमला नहीं करें इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा विपक्षीगण के विरूद्ध जारी किया जाना आवश्यक है ।

वादीगण द्धारा वाद के अन्त में मोजा सागवाडा पटवार हल्का सागवाडा की भूमि खाता नम्बर 1102/1058जमाबन्दी संवत 2066–69 खसरा नम्बर 7873,7899,7900,7920,8072,8159,8162,8203,कुल आराजीयात आठ कुल रकबा आठ बिघा आठ बिस्वा का बंटवारा कर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करने ,

22.3.19

Scanned by CamScanner

मौजा वणोरी पटवार हल्का हडमाला की भूमि खाता संख्या 135/118 नया तथा पुराना जमाबन्दी संवत 2066–69 खसरा नम्बर 877,947,1332/1002 कुल आराजीयात 3 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा का बंटवारा कर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम अलग खाते दर्ज करने एवं बाद बंटवारा वादीगण की भूमि पर मौजा वणोरी एवं मोजा सागवाडा में विपक्षीगण वादीगण की भूमि पर हस्तक्षेप नहीं करें ,सिंचाई के पानी लेने में बाधा नहीं डालें फसल नही ले जाये तथावादीगण की भूमि पर अनावश्यक प्रवेश नही करें इस हेतु वादीगण के हक में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने निवेदन किया गया है ।

वादीगण द्वारा वाद की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुतकरते हुए वादपत्र के साथ जमाबन्दी खाता संख्या 1102/1058, 135/118 ,पट्टा संख्या 56 /3.12.2010 प्रस्तुत किया गया है ।

वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 23.12.2013 को जवाबदावा मय प्रतिदावा के प्रस्तुत किया जाने के पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिदावा का जवाबूल जवाब दिनांक 27.2.2014 को प्रस्तुत किया गया ।

दावा,प्रतिदावा ,जवाबदावा एंव जवाब प्रतिदावा के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए :–

तनकी संख्या 1–

आया मोजा सागवाडा के खाता संख्या 1102/1058के खसरानम्बर 7873,7899,7900,7920,8072,8159,8162,8203,कुल आराजीयात आठ कुल रकबा आठ बिघा आठ बिस्वा का बराबर बराबर बंटवारा करा वादीगण अलग अलग खाता कराने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

तनकी संख्या 2 –

आया मौजा वणोरी पटवार हल्का हडमाला के खाता संख्या 135/118 के खसरा नम्बर 877,947,1332/1002 कुल आराजीयात 3 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा बराबर बराबर बंटवारा करा वादीगण अलग खाता दर्ज कराने के अधिकारी है?(वादी)

तनकीसंख्या 3 –

आया वादीगण द्वारा वादपत्र में ननदों को पक्षकार नही बनाने से दावा काबिल निरस्ती है ? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4 –

आया ईकरारनामा 19.10.2004 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर देने के बाद से ही प्रतिवादी संख्या 1 का अपने हक एंव हिस्से की भूमि के अलावा खसरा नम्बर

24/3/19

Scanned by CamScanner

7920,8163,8203, कुल 3बीघा 05 बिस्वा पर कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है जिसमें तीनो बहनो की सहमती है ? (प्रतिवादी)
तनकी संख्या 5–
दादरसी ?

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई ।

वादी की ओर से साक्ष्य में गवाह तारा पीडब्लू–1 , लक्ष्मी पीडब्लू– 2,कानजी पीडब्लू– 3 के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किए ,नकल वकील प्रतिवादी को दिलाई गई।

प्रतिवादी की ओर से गवाह वजा उर्फ विजेयचन्द, श्रीमती भीखं ,श्रीमती मीरं एवं श्रीमती राधा के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रतिवादी समाप्त कीगई । बयान शपथ पत्र की नकल वकील वादी को उपलब्ध कराई गई ।

बाद साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी विद्धान अभिभाषकगण की बहस समायत की गई ।

विद्धान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र एवं जवाबूल जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर भूमि विकास का कार्य कराने ,बैंक से लोन लेना चाहते हैं परन्तु प्रतिवादीगण सहमती नहीं देते हैं इसलिए लोन लेने में भारी परेशानी हो रही है । यह कि वादीगण के खाते हिस्से की भूमि खाता संख्या 1102/1058 नया तथा पुराना जमाबन्दी 2066–69 तक मोजा सागवाडा पटवार हल्का सागवाडा की आराजी नम्बर 7873,7899,7900,7920,8072,8159,8162,8203,कुल आराजीयात आठ कुल रकबा आठ बिघा आठ बिस्वा का बंटवारा कर 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज कर अलग खाते दर्ज किया जाकर अलग पट्टा जारी किया जाना आवश्यक होना तथा वादीगण के खाते हिस्से की भूमि खाता संख्या 135/118 नया व पुराना जमाबन्दी संवत 2066–69 तक खसरा नम्बर 877,947,1332/1002 कुल आराजीयात 3 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा मौजा वणोरी पटवार हल्का हडमाला में स्थित होकर वादीगण के नाम हिस्सा 1/2 दर्ज है का बंटवारा किया जाकर 1/2 हिस्सा अलग से वादीगण के खाते दर्ज कर किए जाने का निवेदन किया है । वकील वादी ने अपनी बहस में प्रतिवादी द्धारा ईकरार नामा पेश नही करना तथा न ही साक्ष्य पर लिया जाना बताया है ।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादी ने अपनी बहस में जवाब दावा एवं प्रतिदावा के तथ्यों को दोहराते हुए एंव प्रस्तुत पेढीनामा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए वादीगण ने अपने वाद पत्र में अपनी ननों को पक्षकार नही बनाने से दावा त्रूटिपूर्ण होने से काबिल निरस्त होना एवं प्रतिवादी वजा द्धारा अपने छोटे भाई

22/1/19

Scanned by CamScanner

रामलाल को पढा लिखाकर उसकी शादी कराना तथा उसे पैसा इकठ्ठा कर कुवैत भेंजना तथा अक्टुम्बर 2002 में रामलाल की मृत्यु हो जाना तथा वर्तमान में वादीया संख्या 1 अपनी स्वैच्छा से अपने पीयर रहना ,अपनी ईच्छा से गवाहान के रूबरू एक ईकरारनामा 19.10.2004 में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तहरीर कर उसके पति के लिए खर्च की एवज में उसके पति के हिस्से आये हुए खेतों में से तीन खेत मालवाला ,कटुवावाला,हितरीवाला के खेत वजा को सुपुर्द किए है तथा ईकरारनामा में वादीया स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य भविष्य में किसी भी प्रकार से इस बात को लेकर लडाई झगडा नही किया जाना लिखा जाने के बाद से प्रतिवादीसंख्या 1 का अपने हक व हिस्से की जमीन के अलावा उक्त तीनो खेतो का कब्जा एवं स्वामित्व है जिसमें तीनो बहनो की भी स्वैच्छा से पूर्ण सहमती है।वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस मूं शेष 5 बीघा 8 बिस्वा के कुल 5 खेतों का बंटवारा सभी भाई बहनो में बराबर 1/5 –1/5 किया जाना बताया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1–

आया मोजा सागवाडा के खाता संख्या 1102/1058 के खसरानम्बर 7873,7899,7900,7920,8072,8159,8162,8203,कुल आराजीयात आठ कुल रकबा आठ बिघा आठ बिस्वा का बराबर बराबर बंटवारा करा वादीगण अलग अलग खाता कराने के अधिकारी हैं ? (वादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दि संवत 2065 प्रदर्श – 1 मौजा सागवाडा खाता संख्या 1102/1058 में खातेदार के स्थान पर " विजयचन्द्र पिता मोगजी 1/2 ,लक्ष्मी अंजली कैलाश वन्दना पुत्री रामलाल तारा बेवा रामलाल लक्ष्मी अंजली कैलाश वन्दना नाबा. की वली माता तारा बेवा रामलाल 1/2 हिब भील सा.देह तलाईया खातेदार " दर्ज रेकार्ड है । जमाबन्दी संवत 2066–69प्रदर्श – 2 मौजा वणोरी में खाता संख्या 135/118 में " वजा पिता मोगा 1/2 लक्ष्मी अंजली कैलाश वन्दना दु.रमण उर्फ नाबा वली माता तारा देवी बेवा रमण उर्फ रामलाल तारादेवी बेवा रमण उर्फ रामलाल 1/2 हिब भील सा.देह खातेदार " दर्ज रेकार्ड है ।

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा मय प्रतिदावा में पीढीनामा दर्शाते हुए बताया है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने छोटे भाई रामलाल को पढा लिखाकर उसकी शादी कराई ,पिता मोगजी की मृत्यु हो जाने से सारा घर का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर आ गया था ,वादिया के पति रामलाल को अपने खर्चे से कुवैत भेंजना ,वादीया संख्या 1 अपनी स्वैच्छा से अपने पीहर रह रही है एवं अपने स्वयं की स्वेच्छा से गवाहान के रूबरू एक ईकरारनामा 19.10.2004 को प्रतिवादी संख्या 1

22/1/19

Scanned by CamScanner

के पक्ष में तहरीर एंव तकमील कर दिया है जिसमें अंकित किया है कि उसके पति के हिस्से में आये हुए खेतों में से तीन खेत मालवाला,कदुवावाला,हितरीवाला के खेत विजयराम को आज सुपुर्द कर रही हूँ तथा इस सम्बन्ध में वह एवं उसका परिवार कभी भी कोई इस बाबत झगडा नहीं करेंगे । प्रतिवादी ने जवाब में यह भी अवगत कराया है कि उक्त लिखावट के हो जाने के बाद से ही प्रतिवादी संख्या 1 का अपने हक एंव हिस्से की जमीन के अलावा उक्त तीनो खेतों का खसरा नम्बर 7920,8162,8203 कुल रकबा 3बिघा 5 बिस्वा है जिसमें तीनो बहनो की भी स्वैच्छा से पूर्ण सहमती है । शेष 5बीघा 8 बिस्वा खेत किता 5 का बंटवारा सभी भाई बहनो में बराबर बराबर 1/5–1/5 के हिसाब से किया जाना बताया है ।

पत्रावली अवलोकन से ज्ञात है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का पूर्व में मौखिक बंटवारा लगभग 30 वर्ष पूर्व हो जाना बताया है लेकिन पत्रावली में बंटवारा सम्बन्धी कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए है। नियमानुसार कोई भी सहखातेदार अपने हिस्सें की भूमि का बंटवारा कराने का अधिकारी है। प्रदर्श 1 एवं प्रदर्श–2 अनुसार वादी सहखातेदार दर्ज होकर बंटवारा कराने के अधिकारी है। प्रकरण में वादीया के पति एंव प्रतिवादी संख्या 1 की बहन मीरं ,भीखं एवं राधा को भी पक्षकार बनाया गया है एंव वादीया के पति तथा प्रतिवादी वजा एवं उक्त तीनो बहने मोगजी की ही सन्ताने हैं अतः वादग्रस्त भूमि में सभी का समान अधिकार होने से बराबर बराबर हिस्से का बंटवाना कियाजाना न्याय संगत है ।अतःउक्त सभी पक्षकाारान का 1/571/5 हिस्से में बराबर बराबर का अधिकार होने से यह तनकी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2 –

आया मौजा वणोरी पटवार हल्का हडमाला के खाता संख्या 135/118 के खसरा नम्बर 877,947,1332/1002 कुल आराजीयात 3 रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा बराबर बराबर बंटवारा करा वादीगण अलग खाता दर्ज कराने के अधिकारी है?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण को है। तनकी संख्या 1 में मोजा सागवाडा के संयुक्त खाते की भूमि का 1/5 ,1/5हिस्से का बंटवारा पक्षकरान के मध्य किए जाने निर्णित कीगई है यही प्रावधान मौजा वणौरी के खाते पर भी लागू होने से इस तनकी का प्रथक से विवेचन की आवश्यकता नही होने से यह तनकी भी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकीसंख्या 3 –

आया वादीगण द्वारा वादपत्र में ननदों को पक्षकार नही बनाने से दावा काबिल निरस्ती है ? (प्रतिवादी)

24/7/18

Scanned by CamScanner

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । वाद पत्र में वादीया के पति एवं प्रतिवादी वजा की बहन मीरं, भीखं एवं राधा एक ही पिता की संतान होने से वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है ।चूँकि वाद में ननदो को पक्षकरान बनाया जा चुका है अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 –

आया ईकरारनामा 19.10.2004 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर देने के बाद से ही प्रतिवादी संख्या 1 का अपने हक एंव हिस्से की भूमि के अलावा खसरा नम्बर 7920,8162,8203, कुल 3बीघा 05 बिस्वा पर कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है जिसमें तीनो बहनो की सहमती है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी कों सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। प्रतिवादी की ओर से जवाब एवं अपनी साक्ष्य में ईकरार नामे का उल्लेख करते हुए अपने हक एवं हिस्से की भूमि केअलावा खसरा नम्बर 7920,8162,8203 कुल 3बीघा 5 बिस्वा पर कब्जा स्वामित्व होना एवं बहनो की सहमती होना बताया है। कृषि भूमि के विभाजन के नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नही है तथा न ही ऐसा कोई रजिस्टर्ड ईकरार नामा वाद पत्र में प्रस्तुत हुआ है । प्रतिवादी की तीनो बहनो ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य को स्वीकार जरूर किया है लेकिन नियमों के अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नही है कि संयुक्त खाते की भूमि पर यदि किसी का कब्जा एवं स्वामित्व है तो उसके खाते दर्ज कर दी जावे । अतःयह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5–

दादरसी ?

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से वादीगण संयुक्त खाते की कृषि भूमि में 1/5 हिस्से की भूमि अपने नाम प्रथक से दर्ज कराने के अधिकारी है ।

दिनांक 20.2.2019 को वाद वादीया आंशिक रूप से स्वीकार एवं प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया गया कि मौजा सागवाडा की जमाबन्दी संवत 2066–69 के खाता संख्या 1102/1058 किता खेत 8 रकबा 8 बीघा 08 बिस्वा एंव मौजा वणौरी के खाता संख्या 118 के खेत किता 3 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा में बहन मीरं,राधा,भीखं को सहखातेदार दर्ज किया जाकर वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं तीनो बहनो के मध्य बहिस्सा बराबर बराबर बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रैस के तीन प्रति में प्रस्तुतकरें ।

तहसीलदार सागवाडा के पत्र सख्या राजस्व 588 दिनांक 27.6.2019 के द्वारा बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के निम्नानुसार प्राप्त हुई :–

22/7/19

Scanned by CamScanner

मोजा वणोरी :–

क0ंस0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	नाबा0 अंजली,कैलाश ,लक्ष्मी ,वंदना पिता रमण उर्फ राजमल नाबा 0की वली माता तारादेवी व तारादेवी पत्नि स्व0 रमण उर्फ राजमल भील सादेह खातेदार	877/1	0.0243 हें0	सु.।।
		947/1	0.0097 हे0	सु.।।
		1332/1/1	0.0825 हे0	सु.।।।
2	विजयचन्द पिता मोगजी राधा,भीखं,मीर पुत्री मोगजी भील सा देह खातेदार	1332/2	0.3300हे.	सु.।।।
		877/2	0.970हे.	सु.।।।
		947/2	0.0388हे.	सु.।।

मौजा – सागवाडा :–

क0ंस0	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	विजयचन्द ,भीखं, मीर ,राधा पिता मोगजी भील सा0देह	7873/2	0.15	सी.।
		7899/2	0.01	बीड
		7900/2	0.18	सी.।ए
		7920/2	0.18	बीड, सी.।
		8159/2	1.13	बीड, सी.।।
		8162/2	0.18	सी.।
		8203/2	0.16	सी.।
2	तारा पत्नि रामलाल ,नाबा.लक्ष्मी अंजली,कैलाश,वन्दना पिता रामलाल नाबालिग की वली माता तारा भील सा0देह	7873/1	0.04	सी.।
		7899/1	0.01	बीड
		7900/1	0.04	सी.।ए
		7920/1	0.05	सी.।
		8159/1	0.09	सी.।
		8162/1	0.04	सी.।
		8203/1	0.04	सी.।

उपरोक्तानुसार प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के कम में प्रकरण में सुनवाई के दौरान दिनांक 15.7.2019 को पक्षकारान अभिभाषकगण को सुना गया। पक्षकारान अभिभाषकगण ने प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नही होना एंव तदनुसार रेकार्ड में अमल दरामद के लिए सहमत होना बताया ।

15/7/2019

Scanned by CamScanner

अतः अन्तिम डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार सागवाडा को आदेश दिया जाता है कि संलग्न बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ (क) के अनुसार पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर वादीगण का खाता प्रथक दर्ज करें ।प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के खाते की भूमि मोजा वणोरी एवं मोज सागवाडा में हस्तक्षेप नही करें , सिंचाई कमे पानी लेने में बाधा नही डाले , फसल नही लजे जाये तथा वादीगण की भूमि पर अनावश्यक प्रवेश नही करें ।

अन्तिम डिक्री जारी हो । बंटवारा रिपोर्ट परिशिष्ठ(क) निर्णय एंव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 22.2.19 को खूले न्यायालय में सूनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो , नम्बर से कम हो ।

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner